

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (गर्खा कैम्प)

क्र.सं. 40/प्र0अ0-भवन/जोन-1/शर्मा/2015-14 दिनांक 27/07/2013

विनियमितीकरण/अधुनाति-पर

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 को धारा 32 एवं धारा 14, 15 के अन्तर्गत विनियमित/प्रस्तावित निर्माण अनुमत्य किया जा रहा है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस गूने के सम्बन्ध में जिस पर विनियमितीकरण/प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का किसी स्थानीय निकाय या द्वाराक स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती जय श्री जयसवाल पत्नी श्री कैलाश जयसवाल द्वारा प्लॉट आफ फ्री होल्ड साइट नं० 31/5 सिविल स्टेशन, एम0जी0 मार्ग इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत विनियमितीकरण/प्रस्तावित भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 को धारा 14 एवं 15 के प्राविधानों के अनुसृत्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा. भवन निर्माण एवं विकास उपदिशि 2008 में सम्पिदि संख्या--2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 03 अदृश वृक्ष लगाने होंगे।
5. मानचित्र में दर्शित अज्ञातनीय भाग जो स्वतः अपने हजे-खर्चों से स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर धस्ता करना होगा तथा इस सम्बन्ध में दिये गये शपथ पत्र का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा, अन्यथा इसे इ0वि0प्रा0 द्वारा धस्त करके इस पर होने वाला व्यय नू-सम्पन्न बकाये की धनराशि वसूल कर लिया जायेगा।
6. स्थल के अधिभोग/उपभोग इ0वि0प्रा0 से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा।
7. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य स्वतः पूर्ण करते हुए उक्त का संयोजन Existing सर्विसेस से करने की जिम्मेदारी नू-स्तानी की होगी।
8. स्थल पर रेन्नाटर ट्रायैस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण करवाकर नू-गर्भ जल बोर्ड से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. नाननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति नाननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वाधिकार सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
10. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना लिपिायी गयी है अथवा भूखण्ड रूपना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 को धारा 15 (ड) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

Continued

7482
D. P. Singh
Senior Officer
10/7/13
A. K. Singh

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

(नक्शा कैम्प)

पत्रांक : 40/प्र0अ0-भवन/जोन-1/शमन/2013-14 दिनांक 27/07/2013

विनियमितीकरण/अनुमति-पत्र


यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 एवं धारा 14, 15 के अर्न्तगत विनियमित/प्रस्तावित निर्माण अनुमन्य किया जा रहा है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर विनियमितीकरण/प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती जय श्री जयसवाल पत्नी श्री कैलाश जायसवाल द्वारा पार्ट आफ फ्री होल्ड साईट नं0-31/5 सिविल स्टेशन, एम0जी0 मार्ग इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अर्न्तगत विनियमितीकरण/प्रस्तावित भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 03 अद्द वृक्ष लगाने होंगे।
5. मानचित्र में दर्शित अशमनीय भाग को स्वतः अपने हर्जे-खर्चे से स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर ध्वस्त कराना होगा तथा इस सम्बन्ध में दिये गये शपथ पत्र का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा, अन्यथा इसे इ0वि0प्रा0 द्वारा ध्वस्त कराकर इस पर होने वाला व्यय भू-राजस्व बकायों की धनराशि वसूल कर लिया जायेगा।
6. स्थल का अधिभोग/उपयोग इ0वि0प्रा0 से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा।
7. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य स्वतः पूर्ण करते हुए उक्त का संयोजन Existing सर्विसेस से करने की जिम्मेदारी भू-स्वामी की होगी।
8. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल बोर्ड से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः गिरस्त समझा जायेगा।
10. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र गिरस्त करने योग्य होगा।

Continued

7/27/13
श्रीमती जय श्री जयसवाल पत्नी श्री कैलाश जायसवाल



SECTION AT "AB"

FRONT ELEVATION

AREA STATEMENT


Sr. No.	DESCRIPTION	AREA in Sqm.
1	TOTAL PLOT AREA	327.00
2	ROAD WIDENING AREA	30.55
3	NET PLOT AREA	296.50
4	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE (50% of net plot area)	148.25
5	COMPOUNDING GROUND COVERAGE (10% of net plot area)	29.65
6	TOTAL GROUND COVERAGE (4+5)	177.90
7	PERMISSIBLE BASEMENT AREA (50% of net plot area)	148.25
8	COMPOUNDING BASEMENT AREA (20% of perm. Basement area)	29.65
9	TOTAL GROUND COVERAGE (7+8)	177.90
10	PERMISSIBLE F.A.R. (1.50 of plot area)	444.75
11	COMPOUNDING F.A.R. (10% of perm. F.A.R.)	44.48
12	TOTAL F.A.R. (10+11)	489.23

DETAIL AREA CHART

Sr. No.	FLOOR	EXIST. PERM. LIMIT	SANCT. AREA	PROP. AREA	EXIST. IN OTHER THAN PERM. LIMIT							COMPOUNDABLE AREA							Total	EXIST. TO BE DEMOLISHED / FILLED BY EARTH								
					F.S.B.	S.S.B.	S.S.B.	R.S.B.	OTHER	Total	F.S.B.	S.S.B.	R.S.B.	OTHER	Total	F.S.B.	S.S.B.	R.S.B.		OTHER								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X					
	BASEMENT FLOOR	128.83	68.85	-	30.28	57.32	28.66	12.20	128.83	286.29	6.38	57.32	-	10.20	-	78.90	165.73	29.88	-	28.68	-	-	-	-	-	-	-	58.65
	GROUND FLOOR	117.51	117.51	-	29.46	13.81	-	9.15	117.51	169.73	8.42	13.81	-	9.15	-	31.18	148.69	21.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.05
	FIRST FLOOR	117.51	117.51	-	29.46	13.81	-	9.15	117.51	169.73	8.42	13.81	-	9.15	-	31.18	148.69	21.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.05
	SECOND FLOOR	-	117.51	117.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.C. / LIFTING ROOM	-	10.85	22.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR F.A.R.	238.02	322.83	117.51	59.82	27.22	-	18.30	238.02	339.46	18.64	27.22	-	18.30	-	82.36	414.69	42.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.10
	TOTAL FOR CHARGES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.A.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



EXISTING BASEMENT FLOOR PLAN



EXISTING GROUND FLOOR PLAN



EXISTING FIRST FLOOR PLAN




PROPOSED SECOND FLOOR PLAN



SITE PLAN



TERRACE PLAN



KEY PLAN N.T.S.

LEGEND	S.N.	PARTICULAR	SIZE	DRG. NO.	PERM. COMP. 2015 (MAR-13)
COMPOUNDING COVERED AREA SHOWN THIS	01	DOOR	1500X250		
PROPOSED COVERED AREA SHOWN THIS	02	DOOR	1200X250		
EXIST. TO BE DEMOLISHED AREA SHOWN THIS	03	DOOR	800X250		
TO BE FILLED BY EARTH SHOWN THIS	04	DOOR	750X200		
RAIN WATER PIPE SHOWN THIS	05	WINDOW	800X1000		
RAIN WATER HARVESTING LINE SHOWN THIS	06	DOOR	800X		

PROJECT
 COMPOUNDING / SANCTIONED COMMERCIAL BUILDING PLAN ON PART OF FREE HOLD SITE NO.-3116, CIVIL STATION AT M.G. ROAD, ALAHABAD

SCALE: 1/100
 REV. DATE: JUNE 14
 (CHECKED THAT THIS MAP IS AS PER PROVISIONS OF MASTER PLAN 2011 AND 1976)

OWNER: SMT. JAY SHEEL ANSHU
 WHO SR. KAL JASH ANSHU

DESIGNER: DR. RAJESH KUMAR
 ARCHITECT
 REGISTERED ARCHITECT
 NO. 100/2000
 ALAHABAD

CONSULTANT: HOME CONSULTANT
 10/17-A MAIN MARKET ROAD
 ALAHABAD, UTTAR PRADESH